सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2013/00118 दर्ज तिथिः—05.04.2013

1. नगाराम पुत्र उदाराम
2. पुरखाराम पुत्र उदाराम
3. देवाराम पुत्र उदाराम

जाति मेघवाल निवासी मांगता, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

..................वादी

बनाम

1. रूपाराम पुत्र राहुराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 जुगता पुत्र रूपाराम
   1/2 दलाराम पुत्र रूपाराम
   1/3 केली पत्नी रूपाराम
2. नगाराम पुत्र खंगाराराम
3. भगाराम पुत्र खंगाराराम फौत के कायम मुकाम
   3/1 अचलाराम पुत्र भगाराम
   3/2 अणदाराम पुत्र भगाराम
   3/3 अर्जुन पुत्र भगाराम
   3/4 रामाराम पुत्र भगाराम
   3/5 वागा पुत्र भगाराम
   3/6 हरदान पुत्र भगाराम
   3/7 झमकु पत्नी भगाराम
4. तीजों पत्नी खंगाराराम
5. निम्बाराम पुत्र राजिया उर्फ राजुराम
6. रतनाराम पुत्र राजिया उर्फ राजुराम
7. भाखरा पुत्र राजिया उर्फ राजुराम

जाति मेघवाल निवासी मांगता, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

..................असल प्रतिवादीगण

8. शाखा प्रबन्धक बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक बालोतरा
9. तहसीलदार धोरीमन्ना

..................तकमीली प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:54 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगणः— श्री ओमप्रकाश विश्नोई

प्रतिवादीः— एकतरफा

नगाराम बनाम रूपाराम
2013/00118
निर्णय दिनांकः–13.05.2025

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–13.05.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 43/0.0405 है0 गैर मुमकिन व खसरा संख्या 44/33.7345 है बा.सोयम वाके ग्राम मांगता पटवार हल्का मांगता तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगणका हिस्सामुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्रदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 07 को सम्मन विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गइ। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में दिनांक 08.08.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर भू–धारक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ/2024/2288 दिनांक 23.08.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अभिभाषकगण वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी पक्ष द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने भू.अ/2024/2288 दिनांक 23.08.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम 1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 21.01.2024 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में वादी व समस्त प्रतिवादीगण को कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना द्वारा नोटिस क्रमांक 24 से 44 दिनांक 05.01.2024 के द्वारा मौका निरीक्षण हेतु मौका निरीक्षण की दिनांक 21.01.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया गया जाकर तामिल करवाये गए। समस्त पक्षकार मौके पर उपस्थित रहे। उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 43/0.0405 है0 गैर मुमकिन व खसरा संख्या 44/33.7345 है बा.सोयम वाके ग्राम मांगता पटवार हल्का मांगता तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॅार्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॅार्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रक़रण में वादी द्वारातकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॅार्ड में किया जाता है। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह— काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:54 IST
Reason: SelfAttested

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलनः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 43/0.0405 है0 गैर मुमकिन व खसरा संख्या 44/33.7345 है बा.सोयम वाके ग्राम मांगता पटवार हल्का मांगता तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	बरंग
पुरखा पिता उदाराम नगा पिता उदाराम देवा पिता उदाराम जाति मेघवाल साकिन मांगता	1/3 1/3 1/3	43 44	0.0405 16.4615	गै.मु. बा.सो.	हरा
अचला पिता भगा अणदा पिता भगा अर्जुन पिता भगा रामा पिता भगा	1/144 1/144 1/144 1/144	44	0.7710	बा.सो.	लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:54 IST
Reason: SelfAttested

वागा पिता भगा हरदान पिता भगा झमकू पत्नी भगा जुगता पिता रूपा दला पिता रूपा केली देवी पत्नी रूपा कसुम्बी पत्नी प्रागाराम गीता पत्नी चनणाराम तीजों पत्नी खंगार नगा पुत्र खंगार देवा पुत्र उदा नगा पुत्र उदा पुरखा पुत्र उदा सुखी पत्नी शंकरलाल जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	 1/144 1/144 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/6 1/6 1/6 1/18				
अचला,अणदा,अर्जुन,रामा,वागा,हरदान पिता भगाराम,झमकू पत्नी भगाराम जुगता ,दला पिता रूपा केली देवी पत्नी रूपा,कसुम्बी पत्नी प्रागाराम, गीता पत्नी चनणाराम,तीजों पत्नी खंगार, .नगा पत्नी खंगार,सुखी देवी पत्नी शंकरलाल, जाति मेघवाल सा.देह खातेदार		44	16.5020	बा.सो.	पीला

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

13/5/25

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमना—बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:54 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः—05.04.2013

वाद संख्याः—2013/00118

1. नगाराम पुत्र उदाराम
2. पुरखाराम पुत्र उदाराम
3. देवाराम पुत्र उदाराम
   जाति मेघवाल निवासी मांगता, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

..................वादी

बनाम

1. रूपाराम पुत्र राहुराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 जुगता पुत्र रूपाराम
   1/2 दलाराम पुत्र रूपाराम
   1/3 केली पत्नी रूपाराम
2. नगाराम पुत्र खंगाराराम
3. भगाराम पुत्र खंगाराराम फौत के कायम मुकाम
   3/1 अचलाराम पुत्र भगाराम
   3/2 अणदाराम पुत्र भगाराम
   3/3 अर्जुन पुत्र भगाराम
   3/4 रामाराम पुत्र भगाराम
   3/5 वागा पुत्र भगाराम
   3/6 हरदान पुत्र भगाराम
   3/7 झमकु पत्नी भगाराम
4. तीजों पत्नी खंगाराराम
5. निम्बाराम पुत्र राजिया उर्फ राजुराम
6. रतनाराम पुत्र राजिया उर्फ राजुराम
7. भाखरा पुत्र राजिया उर्फ राजुराम
   जाति मेघवाल निवासी मांगता, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

..................असल प्रतिवादीगण

8. शाखा प्रबन्धक बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक बालोतरा
9. तहसीलदार धोरीमन्ना

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः—श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीः— एकतरफा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:54 IST
Reason: SelfAttested

नगाराम बनाम रूपाराम
2013/00118
निर्णय दिनांकः–13.05.2025

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 43/0.0405 है0 गैर मुमकिन व खसरा संख्या 44/33.7345 है बा.सोयम वाके ग्राम मांगता पटवार हल्का मांगता तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	बरंग
पुरखा पिता उदाराम नगा पिता उदाराम देवा पिता उदाराम जाति मेघवाल साकिन मांगता	1/3 1/3 1/3	43 44	0.0405 16.4615	गै.मु. बा.सो.	हरा
अचला पिता भगा अणदा पिता भगा अर्जुन पिता भगा रामा पिता भगा वागा पिता भगा हरदान पिता भगा झमकू पत्नी भगा जुगता पिता रूपा दला पिता रूपा केली देवी पत्नी रूपा कसुम्बी पत्नी प्रागाराम गीता पत्नी चनणाराम तीजों पत्नी खंगार नगा पुत्र खंगार देवा पुत्र उदा नगा पुत्र उदा पुरखा पुत्र उदा सुखी पत्नी शंकरलाल जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	1/144 1/144 1/144 1/144 1/144 1/144 1/144 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/6 1/6 1/6 1/18	44	0.7710	बा.सो.	लाल
अचला,अणदा,अर्जुन,रामा,वागा,हरदान पिता भगाराम,झमकू पत्नी भगाराम जुगता ,दला पिता रूपा केली देवी पत्नी रूपा,कसुम्बी पत्नी प्रागाराम,		44	16.5020	बा.सो.	पीला

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:54 IST
Reason: SelfAttested

गीता पत्नी चनणाराम,तीजों पत्नी खंगार, नगा पत्नी खंगार,सुखी देवी पत्नी शंकरलाल, जाति मेघवाल सा.देह खातेदार					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

13/5/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:54 IST
Reason: SelfAttested